बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (पटना) 02–114/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री मुकुल कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दानापुर, पटना के विरूद्ध विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र में बिना कोई कागजात तथा बिना कोई सुनवाई किए जमाबंदी संख्या–12 को श्री कृत महतो, रामकृत महतो, शिवजतन महतो, नवरत्न महतो, जामुन महतो, अभिभावक का नाम बाबू राम महतो के पक्ष में कुल रकवा 0 एकड़ 14.07 डि0 की जमाबंदी निर्मित करते हुए वर्ष–2002–2003 से 2021–2022 तक 490 रुपए का लगान रसीद निर्गत करने, श्री रमेश कुमार माता मो० सुशीला देवी पिता स्व० सियाशरण प्रसाद सिंह की जमीन प्रश्नगत मौजा में ही खाता संख्या–142, स्कवा–2160 वर्गफीट अर्थात 7.20 डि0 जमीन वेलफेयर सोसायटी लिमिटेड से क्रय किया गया है, जिसका दाखिल–खारिज अभी नहीं हुआ है। उक्त जमीन की भी जमाबंदी ऊपर वर्णित व्यक्तियों के नाम करने, निर्मित जमाबंदी का सृजन दिनांक–05.09.2021 को 2:27 बजे अपराह्न में तत्कालीन अंचल अधिकारी डा० मुकुल कुमार झा के डोंगल से किये जाने, वर्तमान अंचल अधिकारी श्री अमृत राज बंधु द्वारा अवैध कृत जमाबंदी अपर समाहर्त्ता, पटना को जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1930(15), दिनांक–27.10.2023 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री झा द्वारा दिनांक–16.11.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–191(15) दिनांक–06.02.2024 द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना के पत्रांक–30 दिनांक–20.01.2025 एवं पत्रांक–386, दिनांक–28.08.2025 द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–35(15) दिनांक–06.01.2026 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री झा द्वारा दिनांक–02.02.2026 से द्वितीय कारण–पृच्छा/ अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मुकुल कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी दानापुर के द्वारा बिना कोई कागजात तथा कोई सुनवाई किए बिना जमाबंदी संख्या–12 को Re-Write किया गया है। यद्यपि आरोप पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि जमाबंदी सं०–12 का "नया

सृजन" नहीं बल्कि क्षतिग्रस्त पृष्ठ का Re-write किया गया तथापि Re-write से संबंधित मूल आदेश उपलब्ध नहीं है। नोटिस निर्गत होने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सुनवाई किए जाने का कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित पंजी में आदेश प्रविष्टि का स्पष्ट साक्ष्य अनुपलब्ध है। केवल विभागीय पत्रांक का उल्लेख कर देना विधिसम्मत् प्रक्रिया के पालन का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता अभिलेखीय साक्ष्य से सिद्ध होती है, न कि मौखिक या अनुमानाधारित कथन से।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिलेखीय अभाव के बावजूद आरोपी को प्रत्यक्ष दोषमुक्त करने का प्रयास किया गया है। पर्यवेक्षणीय दायित्व (Supervisory Responsibility) का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः जांच प्रतिवेदन का निष्कर्ष पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना जा सकता। Re-write जैसी कार्रवाई, जो भू–अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, स्वभावतः अर्ध–न्यायिक प्रकृति की है। सुनवाई, नोटिस एवं अभिलेखीय प्रक्रिया प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना प्रशासनिक पारदर्शिता के अभाव को इंगित करता है अतः बिना सुनवाई कार्रवाई का आरोप आंशिक नहीं बल्कि वस्तुतः प्रमाणित माना जाना न्यायसंगत है।

आरोपी पदाधिकारी का यह तर्क कि अभिलेखों का संरक्षण लिपिक का दायित्व है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता। तत्कालीन अंचल अधिकारी के रूप में संपूर्ण कार्यालयीय अभिलेखों की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं पर अधिरोपित होती है। संवेदनशील राजस्व अभिलेखों का गायब होना गंभीर नियंत्रणहीनता को दर्शाता है। डोंगल/ऑनलाईन प्रणाली का अन्य कर्मियों द्वारा उपयोग किया जाना दायित्व को कम नहीं करता, बल्कि पर्यवेक्षणीय विफलता को और स्पष्ट करता है। यह स्थिति केवल लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन में घोर शिथिलता को दर्शाती है। अतः आरोपों को तकनीकी आधार पर न्यून करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यह प्रकरण गंभीर प्रशासनिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकुल कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दानापुर, पटना **सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2021)** एवं नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–114/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, पटना एवं पूर्णियाँ/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री मुकुल कुमार झा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–114/2023–524(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13.4.26

प्रतिलिपि :– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव/के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री मुकुल कुमार झा** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

10/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।